सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख, 1937 (श०)

संख्या 347 राँची **,**गुरुवार

21 मई, 2015 (ई०)

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 मई, 2015

एस॰ओ॰-49 दिनांक 21 मई, 2015— झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची को निम्नलिखित वस्तुओं की खरीद पर देय मूल्यवद्धित कर से विमुक्ति प्रदान करते हैं बशर्ते रामकृष्ण मिशन बरक्लोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची के स्वामी, यह प्रमाणित करें कि उक्त वस्तुएं रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची के उपयोग के लिए ही हैः-

1. दवाएं, केमिकल्स, एक्सरे फिल्म्स, सभी लेबोरेटरी वस्तुएं
2. हास्पीटल इक्यूपमेंट, हास्पीटल वस्तुएं
3. खाद्य सामग्रियां
4. बर्तन एवं कुकिंग मैटेरियल
5. बेडिंग एवं क्लोथिंग
6. क्लोथ एवं ड्रेसेज
7. भेटेनरी दवाएं, कैटल फीड एवं फाडर, फीड सप्लीमेंट
8. फर्नीचर आईटम्स
9. कम्प्यूटर एवं प्रिंटर, यू0 पी0 एस0 सहित इसके ऐक्सेसरीज
10. प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरीज
11. मशीनरी, जेनरेटिंग सेट एवं इनके स्पेयर पार्ट्स
12. मोटर पम्प सेट, वाल्व, पाईप, पाईप फिटिंग्स एवं प्लम्बिंग आइटम
13. हार्डवेयर आईटम्स यथा पेंट, इमल्सन, डिसटेम्पर, वायर इत्यादि
14. बिल्डिंग मेटेरियल्स यथा सीमेंट, स्टील बार, प्लेट, चैनल, प्लाईवुड, एसबेसटस, राड इत्यादि
15. सभी इलेक्ट्रीकल वस्तुएं एवं बैट्री
16. इलेक्ट्रानिक्स वस्तुएं
17. कृषि बीज कीटनाशक, खाद एवं कृषि उपकरण
18. वाहन, ट्रैक्टर एवं स्पेयर पाट्स (टायर सहित)
19. खेलकूद की वस्तुएं

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी एवं **दिनांक 31** मार्च**, 2016** तक प्रवृत्त रहेगी ।

3. संस्था को निशुल्क कार्यो के लिए ही कर-विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी ।

घोषणा पत्र

अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 दिनांक पुस्तिका सं0 प्रपत्र सं0

सेवा में,

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बिल /कैश मेमो संख्या .... दिनांक .... रू.................................... द्वारा खरीदा गया माल रामकृष्ण मिशन ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची के उपयोग के लिए है तथा वे अधिसूचना संख्या ....एस0 ओ0 .... दिनांक.....................द्वारा आच्छादित है ।

स्थान हस्ताक्षर

तिथि पदनाम

(संचिका संख्या वैट /विमुक्ति /1 /2006/1756)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग,

झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 347--50।